उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 27

दिनांक /Date.: 06.04.2022

संवाद–206

विषयः– विभिन्न चयनों में ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्रों की त्रुटियों के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

अवगत कराना है कि आयोग द्वारा किये जा रहे विभिन्न चयनों में अभिलेख सत्यापन के दौरान यह स्थिति आई है कि कई अभ्यर्थियों के पास वैध या निर्धारित अवधि का OBC प्रमाण पत्र नहीं हैं। प्रारम्भ में ऐसी स्थिति आने पर कुछ मामलों में आयोग द्वारा संबंधित जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण भी लिया गया किंतु सही स्पष्टीकरण न आने के बाद आयोग द्वारा बैठक में इस मामले को रखकर व्यापक विचार विमर्श किया गया। आयोग अपने विज्ञापन में यह स्पष्ट करता है कि अभ्यर्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि तक OBC प्रमाण पत्र सहित सभी पात्रताओं के वैध प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक है। सभी अभ्यर्थियों के लिए समान नीति का पालन आवश्यक है। अतः भविष्य में सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि तक धारित वैध प्रमाण पत्र होना आवश्यक है अन्यथा सम्यक प्रमाण पत्र धारित न होने पर ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

आयोग की ओर से,

6/4/22

(संतोष बडोनी)

सचिव।